

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(19)एम.ई./गुप-1/2015

जयपुर, दिनांक: 24 APR 2019


आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम-31 के अनुसार नेफ्रोलोजी विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार अस्थाई वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है। यदि कोई चिकित्सक शिक्षक इससे परिवेदित हो तो, इसके जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपना अभ्यावेदन प्रमाणित दस्तावेजों सहित इस विभाग को निश्चित रूप से प्रेषित कर दें। निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी :-

वरिष्ठ आचार्य/आचार्य					
क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	डीएसीपी चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० मुकेश कुमार बडजात्या	सामान्य	08.04.1959	2011-12	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2011
2.	डॉ० विनय मल्होत्रा	सामान्य	09.08.1964	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
3.	डॉ० धनंजय अग्रवाल	सामान्य	01.06.1961	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
4.	डॉ० मनीष चतुर्वेदी	सामान्य	10.06.1970	2018-19	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2018

सहायक आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि/कार्यग्रहण तिथि
1.	डॉ० जितेन्द्र फलोदिया	सामान्य	01.01.1975	01.08.2012 (कार्यग्रहण तिथि)
2.	डॉ० पंकज बेनीवाल	सामान्य	18.12.1978	01.08.2012 (कार्यग्रहण तिथि)
3.	डॉ० विकास खन्डोलिया	सामान्य	03.11.1977	04.08.2012 (कार्यग्रहण तिथि)
4.	डॉ० सुरेन्द्र सिंह राठौड़	सामान्य	26.05.1982	26.04.2017 (नियुक्ति तिथि)
5.	डॉ० संजीव कुमार शर्मा	सामान्य	31.07.1970	26.04.2017 (नियुक्ति तिथि)
6.	डॉ० राजेश झूरावत	सामान्य	05.12.1981	26.04.2017 (नियुक्ति तिथि)

आज्ञा से  


(मोहन लाल वर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज।
4. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।



(जी.आर.रावल)  
शासन सहायक सचिव